राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
विपणन विभाग

<u>विषय: परिवर्तन संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश</u>

1.0 **उद्देश्य:** विस्तारित इकाइयों से प्राप्त अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों की अतिरिक्त मात्रा पर ध्यान देते हुए अधिकतम अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों को परिसज्जित उत्पादों में ढालना एवं बिक्री कारोबार को बढ़ाना।

2.0 **<u>उत्पाद को परिसज्जित उत्पाद में ढालना:</u>**

कच्चा माल	परिसज्जित उत्पाद
अर्द्ध-परिसज्जित उत्पाद की (खासकर 150x150 मिलीमीटर, 200x200 मिलीमीटर आकार *) सभी श्रेणियाँ *वर्तमान में उपलब्धता के आधार पर। मुख्यालय समिति द्वारा अन्य आकार व श्रेणी का भी सुझाव दिया जा सकता है)	टी एम टी रीबार (केवल 150 मिलीमीटर x150 मिलीमीटर अथवा उससे कम आकार के अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों से) (आवश्यकता के अनुसार राउंड्स/फ्लैट्स/ एंगिल्स/ चैनल्स/बीम्स/स्क्रेयर्स/टेली चैनल्स अथवा कोई अन्य उत्पाद – मुख्यालय समिति द्वारा सुझाया जाना होगा)

3.0 **परिवर्तन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कार्यविधि**:

3.1 **<u>योग्यता:</u>**

3.1.1 संबद्ध उत्पादों की वैध अनुज्ञप्ति के साथ खुद की रोलिंग मिल्स रखनेवाले (पट्टे पर ली गई इकाइयाँ पात्र नहीं हैं) री-रोलर को ही परिवर्तन अभिकरणों के रूप में नियुक्त करने हेतु विचार किया जाएगा। पात्रता के अन्य मापदंड एन आई टी की शर्तों व निबंधनों के अनुरूप होंगे।

3.2 **<u>परिवर्तन अभिकरणों की नियुक्ति की पद्धति:</u>**

3.2.1 विपणन योजना एवं प्रेषण, विपणन-परियोजना बिक्री, विपणन-संविदा अनुभाग (कम से कम ई6/ई7), प्रत्येक से एक प्रतिनिधि से गठित मुख्यालय समिति, परिवर्तन अभिकरणों का नियुक्ति - स्थान, निर्विष्ट सामग्री एवं बनाये जानेवाले परिसज्जित उत्पाद सुझाएगी। विपणन-योजना व विकास के प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष होंगे।

समिति के विस्तृत कार्यक्षेत्र का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

ए) परिवर्तन अवधि के दौरान संकर्म से प्राप्त (आकार/श्रेणीवार) उपलब्धता विवरण के आधार पर निर्विष्ट सामग्री की लगातार उपलब्ध मात्रा का निर्धारण।

बी) विशिष्ट उत्पाद आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात उत्पादन हेतु परिसज्जित उत्पादों का निर्धारण (वी एस पी की उत्पाद श्रेणी से बाहर के उत्पादों एवं वी एस पी की उत्पाद श्रेणी के अंदर के उत्पादों के उत्पादन/उपलब्धता की समस्याएँ)।

सी) ठेका अनुभाग को ए) व बी) के विचारगत किसी विशेष राज्य/क्षेत्र में उपलब्ध परिवर्तन सुविधाओं को पहचानने हेतु अभिरुचि अभिव्यक्तीकरण (ई ओ आई) जारी करना।

डी) यदि प्रस्तावित क्षेत्र आदि में परिसज्जित उत्पाद दक्षता कम है, तो अर्द्ध परिसज्जित उत्पादों की उपलब्धता, प्रस्तावित शाखा/क्षेत्र की बिक्री योजना, प्रस्तावित शाखा में परिवर्तन की लाभदायिकता, परिसज्जित उत्पादों को अन्य शाखाओं में भेजने से संबंधित लॉजिस्टिक लागत सहित सभी ई ओ आई प्रतिक्रियाओं की जाँच पश्चात परिवर्तन अभिकर्ताओं को जहाँ नियुक्त करना हो, उन क्षेत्रों की संस्तुति। ऐसे क्षेत्रों, जहाँ लॉजिस्टिक लागत कम हो/एन एस आर अधिक हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।

ई) क्षेत्रों, जहाँ परिवर्तन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकेगी, निर्विष्ट सामग्री की क्षेत्रवार सांकेतिक मात्रा, परिसज्जित उत्पादों का उत्पादन एवं नियुक्त किये जानेवाले परिवर्तन अभिकर्ताओं की संख्या से संबंधित एच क्यू सी की संस्तुति के आधार पर संविदा अनुभाग निदेशक (वाणिज्य) का अनुमोदन प्राप्त करेगा। अनुमोदित क्षेत्र हेतु अभिरुचि अभिव्यक्तीकरण द्वारा प्राप्त सभी विवरण शाखाओं को अग्रेषित किए जाऐंगे, ताकि परिवर्तन अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी खुली निविदा प्रक्रिया शुरु की जा सके।

एफ) यदि, ऐसे क्षेत्र जहाँ एक से अधिक परिवर्तन अभिकरणों की नियुक्ति की जानी हो, शाखा बिक्री कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय निविदा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान निविदा सूचना में नियुक्त किये जानेवाले परिवर्तन अभिकर्ताओं की संख्या सूचित करेंगे और कार्य आदेश एल 1 से मेल खाने की शर्त अथवा एल 2/एल 3/एल 4 आदि के अनुमोदित परिवर्तन दर के अनुरूप जारी किया जाएगा। यदि एल 2/एल 3/एल 4, एल 1/अनुमोदित दर से मेल नहीं खाते हैं तो पूरा कार्य एल-1 को दिया/सौंपा जाएगा। परिवर्तन अभिकरणों को कार्य वितरण अनुपात का विवरण निम्नवत होगा:

क्र.सं.	परिवर्तन अभिकर्ताओं की संख्या	वितरण मात्रा प्रतिशत
1	1	100
2	2	67:33
3	3	50:25:25
4	4	40:20:20:20

3.2.2 **<u>बयाना जमा राशि/प्रतिभूति जमा/वित्तीय व्यवस्था बैंक गारंटी की गणना की पद्धति</u>**

ए) मौजूदा परिवर्तन दर (अद्यतनीकृत) परिवर्तन संविदा की अनुमानित दर होगी। यदि निविदा पहली बार जारी की जा रही हो तो शाखा बिक्री कार्यालय को स्थानीय पार्टियों से मानक सांकेतिक मात्रा सहित न्यूनतम तीन बजटरी कोटेशन प्राप्त करने होंगे। 90% न्यूनतम बजटरी कोटेशन को प्रतिटन प्राक्कलित परिवर्तन दर माना जाएगा। यह प्राक्कलन को शाखा स्तर की समिति की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

यदि किसी क्षेत्र में 3 से कम रोलिंग मिल्स हों/मौजूदा रोलिंग मिल्स बजटरी कोटेशन देने आगे नहीं आते हैं तो उपलब्ध न्यूनतम बजटरी कोटेशन/आर आई एन एल के निकटतम क्षेत्रों के अनुमोदित परिवर्तन प्रभारों सहित प्राक्कलन को अंतिम रूप देने हेतु विभागाध्यक्ष (विपणन) से अनुमोदन लेना होगा।

बी) टी एम टी बार (स्ट्रक्चरल्स और/अथवा किसी अन्य निर्दष्ट उत्पाद के संदर्भ में 750 एम टन/माह) की मानक सांकेतिक मात्रा 2000 एम टन/माह अथवा खंड 3.2.1 के अनुरूप होगी।

- टी एम टी रीबार का अनुमानित संविदागत मूल्य (परिवर्तन लागत) = अनुमानित परिवर्तन प्रभार प्रति टन X निश्चित अनुसार प्रति वर्ष सांकेतिक मात्रा X 2 वर्ष
- अन्य उत्पादों का अनुमानित संविदागत मूल्य (परिवर्तन लागत) = अनुमानित परिवर्तन प्रभार प्रति टन X निश्चित अनुसार प्रति वर्ष सांकेतिक मात्रा X 2 वर्ष
- डी डी/भुगतान आदेश के माध्यम से बयाना जमा राशि 1.5 लाख रुपये (सभी परिवर्तन निविदाओं के लिए निश्चित) होगी।

- डी डी/भुगतान आदेश/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से परिवर्तन की मात्रा पर ध्यान दिये बिना प्रतिभूति जमा (सभी परिवर्तन निविदाओं के लिए निश्चित) 10 लाख रुपये होगी।
- वित्तीय व्यवस्था : परिवर्तन अभिकर्ता को आपूर्ति की जाने वाली मात्रा X निर्विष्ट सामग्री की 130% शाखा स्तरीय दर

  बी एल पी = एस टी ए जारी होने की तिथि से संबद्ध शाखा की निर्विष्ट सामग्री (आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न उत्पादों में उच्चतम दर) की शाखा स्तरीय दर

3.2.3 शाखा बिक्री कार्यालय खुली निविदा जारी कर सकते हैं और क्षेत्रीय समिति की संस्तुति एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन के खंड 3.3 के अनुरूप अनुमोदन से निविदा को अंतिम रूप दे सकते हैं। यदि प्राप्त बिड की संख्या 3 से भी कम हो तो ऐसी निविदाओं को (आगे समय विस्तार/ निविदा खोलने हेतु) निदेशक (वाणिज्य) के पूर्व अनुमोदन से आगे भेजा जाएगा।

3.2.4 तकनीकी बिड खोलने के पश्चात, शाखा प्रबंधक एवं शाखा वित्त प्रबंधक से गठित शाखा स्तरीय समिति द्वारा कागजात का मूल्यांकन किया जाएगा और पात्र निविदाकारों के दर बिड खोलने की संस्तुति दी जाएगी, ताकि क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक तथा संबद्ध शाखा प्रबंधक से गठित संबद्ध क्षेत्रीय समितियों द्वारा इसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। पात्र निविदाओं की संस्तुति से पहले शाखा स्तरीय समिति एन आई टी के अनुरूप सभी योग्य मिलों की आवश्यक इकाइयों का निरीक्षण करेगी। अनुमोदन देने से पहले संबद्ध क्षेत्रीय समितियाँ यदि आवश्यक हो तो एन आई टी शर्तों के अनुरूप योग्य मिलों का दौरा करेगी और उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करेगी।

3.2.5 संबद्ध क्षेत्रीय समितियों द्वारा अनुमोदित अनुसार, पात्र निविदाकारों के दर बिड संबद्ध शाखाओं द्वारा खोले जायेंगे और शाखा स्तरीय समिति की संस्तुतियों से संविदाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.3 क्षेत्रीय कार्यालय इसके आगे शक्तियों के प्रत्यायोजन में सूचित अनुसार क्षेत्रीय समिति की संस्तुति हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात संविदा को अंतिम रूप देगा और संबद्ध क्षेत्रीय प्रबंधक स्वीकृति पत्र जारी करेंगे तथा संबद्ध शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबंधक संविदा के 'अभियंता प्रभारी' होंगे। समिति, संविदा को अंतिम रूप देने से पहले बाजार में परिसज्जित उत्पाद की दर के संदर्भ में उन उत्पादों के बाजार की स्थिति एवं परिवर्तित उत्पाद की कार्यशीलता का विचार करेगी।

प्राप्त दरों की प्राक्कलित दरों से तुलना की जानी होगी और यदि क्षेत्रीय समिति सौदेबाजी की आवश्यकता महसूस करती है तो निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन से सौदेबाजी की जा सकती है।

<u>परिवर्तन अभिकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी शक्तियों का प्रत्यायोजन</u>

क्र.सं.		अनुमोदन देनेवाले प्राधिकारी	टिप्पणी
1	खुली निविदा जारी करना	निदेशक (वाणिज्य)	मुख्यालय समिति की संस्तुतियों सहित
2	अनुमान से कम दर पर संविदा को अंतिम रूप देना	संबद्ध क्षेत्रीय प्रबंधक	क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियों सहित
3	प्राक्कलन से अधिक दर, लेकिन 10% तक दर सहित संविदा को अंतिम रूप देना	विभागाध्यक्ष विपणन	क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियों सहित
4	प्राक्कलन से अधिक दर, लेकिन 10% तक दर सहित संविदा को अंतिम रूप देना	निदेशक (वाणिज्य)	क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियों सहित

3.4 **संविदा की वैधता** :

संविदा स्वीकृति पत्र की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी, जिसे क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर विपणन विभाग के अध्यक्ष के अनुमोदन से परस्पर सम्मति की शर्त व निबंधन तथा दर के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

4.0 <u>परिवर्तन व्यवस्था की</u> शर्त व निबंधन:

4.1 परिवर्तन संविदा की शर्त व निबंधन, अनुमोदित एन आई टी शर्तों के अनुरूप होंगे।

5.0 **<u>परिवर्तित उत्पादों का मूल्य निर्धारण:</u>**

5.1 परिवर्तन हेतु, सिर्फ अधिशेष अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों को ही विचार में लिया जाएगा और ऐसे क्षेत्र (त्रों) को, जहाँ परिवर्तन से निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) अधिकतम हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.2 परिवर्तित उत्पाद का अंतिम मूल्य, संबद्ध बिक्री क्षेत्र पर अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों (परिवर्तन अभिकर्ता को जिस महीने में अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों की आपूर्ति की जायेंगी, उस महीने के मूल्य) का मासिक एम ओ पी (जी एस टी को छोड़) और उसमें परिवर्तन अभिकर्ता परिसर तक प्रहस्तन/परिवहन प्रभार, परिवर्तन प्रभार, सामग्री के गलने से होने वाली हानि आदि को जोड़ते हुए तय किया जाएगा।

क्र.सं.	**विवरण**	**रुपये/टन**
ए	शाखा में, जहाँ से बिक्री की जाती है (बी एल पी-क्यू एल आई-अन्य कोई क्यू बी आई एस), जी एस टी को छोड़कर अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों का एम ओ पी	
बी	उपर्युक्त ए (ए/98*100-ए) अथवा (ए/95*100-ए) पर परिवर्तन हानि (उत्पादन प्राप्ति % (95% अथवा 98%, मामला जैसा हो)	
सी	प्रहस्तन, परिवर्तन अभिकर्ता के परिसर तक परिवहन आदि, यदि कोई हो तो	
डी=ए+बी+सी	अर्द्ध-परिसज्जित उत्पाद का बिक्री मूल्य (ए+बी+सी) के आधार पर परिवर्तन अभिकर्ता परिसर पर परिवर्तित उत्पाद मूल्य	
ई	परिसज्जित परिवर्तित उत्पाद (एस पी) (जी एस टी को छोड़) का बिक्री मूल्य	
एफ	परिसज्जित परिवर्तित उत्पाद (एस पी-क्यू एल आई-एम क्यू आई-और कोई क्यू बी आई एस) (जी एस टी को छोड़) का एम ओ पी	
जी=एफ-डी	मार्जिन (एफ-डी)	

<u>आर आई एन एल स्तर के परिवर्तित उत्पादों के लिए</u>

यह सुनिश्चित किया जाय कि परिवर्तित उत्पाद से अनुकूल लाभ प्राप्त हो तथा बिक्री मूल्य उत्पादों के एम ओ पी (परिवर्तन अभिकर्ता को जिस महीने में अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, उस महीने की दर) से कम न हो।

<u>परिवर्तित उत्पाद, जो आर आई एन एल की उत्पाद श्रेणी में नहीं आते:</u>

ए) विशिष्ट आकार/श्रेणियों (परिवर्तन अभिकरण संविदा करनेवाले शाखा के लिए लागू) का प्रारंभिक मूल्य संबद्ध शाखा से उपर्युक्त अनुसार लागत व लाभ की सूचना सहित प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दर सूची समिति (एल पी सी) द्वारा तय किया जाएगा। एल पी सी की संस्तुतियाँ, समय समय पर आर आई एन एल की उत्पाद श्रेणी के मूल्य निर्धारण हेतु अपनायी जानेवाली पद्धति के अनुरूप निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

बी) तत्पश्चात, इन उत्पादों का मासिक दर संशोधन, संयंत्र द्वारा बनाये गये उत्पादों के जैसे ही शाखा/क्षेत्र से प्राप्त दर परिवर्तन सुझाव के विचारगत एच एल सी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। एच एल सी के निर्णय के आधार पर, मुख्यालय की मूल्य निर्धारण समिति (एम पी सी) आर आई एन एल की उत्पाद श्रेणी में न आनेवाले परिवर्तित उत्पादों का मूल्य निर्धारित करेगी और निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

सी) मध्यावधि मूल्य संशोधन का प्रस्ताव, यदि कोई हो तो परिवर्तन के सकारात्मक सहयोग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत एम पी सी की संस्तुतियों के साथ निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

डी) यह सुनिश्चित होना चाहिए कि परिवर्तित उत्पाद से अनुकूल लाभ प्राप्त हो तथा बिक्री मूल्य उत्पादों के एम ओ पी (परिवर्तन अभिकर्ता को जिस महीने में अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, उस महीने की दर) से कम न हो।

5.3 ग्राहकों तक प्रेषण हेतु जी एस टी/आई जी एस टी एवं परिवहन प्रभार अलग होंगे।

5.4 परिवर्तन अभिकर्ता के मिल में परिवर्तन कार्य की समाप्ति पश्चात, परिसज्जित उत्पाद सीधे ग्राहकों को भेजे जायेंगे अथवा निकटतम शाखा अथवा अन्य शाखाओं के स्टॉकयार्ड में भेजे जायेंगे, ताकि किसी ग्राहक के आदेश के निमित्त उनकी बिक्री अथवा सामान्य बिक्री की जा सके।

5.5 परियोजना बिक्री के तहत उत्पादों की किसी श्रेणी के परिवर्तन के विचार के दौरान, परिवर्तित उत्पादों की श्रेणी के औसत लाभ पर विचार किया जाएगा।

5.6 परियोजना बिक्री के तहत जहाँ भी निश्चित दर आदि जरूरी हों, लागू 'परियोजना बिक्री नीति' के अनुरूप लागू होगी।

6.0 **<u>निश्चित आदेशों अथवा अन्य के निमित्त परिवर्तन :</u>**

6.1 निश्चित आदेशों के निमित्त सामान्यत: परिवर्तन प्रक्रिया की जाएगी।

6.2 हालाँकि, यदि कोई निश्चित आदेश न हों, परिवर्तन प्रक्रिया की जाएगी और परिवर्तित उत्पाद विभागाध्यक्ष (विपणन) के अनुमोदन से स्टॉकयार्ड से सामान्य बिक्री हेतु भेजे जायेंगे/अन्य शाखाओं आदि को माल हस्तांतरण किया जाएगा।

7.0 **<u>अनुश्रवण:</u>**

7.1 **बैंक गारंटी**: क्षेत्रीय प्रबंधकों/शाखा प्रबंधकों को परिवर्तन अभिकर्ताओं द्वारा रखी गयी सामग्री के मूल्य का किसी भी समय आकलन करना होगा (निर्विष्ट सामग्री का 130% शाखा स्तरीय मूल्य)
(बी एल पी = एस टी ए जारी होने की तिथि से संबद्ध शाखा की निर्विष्ट सामग्री का शाखा स्तरीय मूल्य (आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों का अधिकतम मूल्य) उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी की राशि से

अधिक न हो। जहाँ भी मौजूदा बैंक गारंटी मूल्य से अधिक सामग्री का परिवर्तन जरूरी हो, परिवर्तन अभिकर्ता बैंक गारंटी मूल्य बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है।

सामग्री के मूल्य को शामिल करने हेतु डी डी/चेक (उगाही की शर्त पर)/भुगतान आदेश/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था की अनुमति भी दी जाएगी।

7.2 **परिवर्तन साइकिल**: परिवर्तन साइकिल (परिवर्तन अभिकर्ता के परिसर में कच्चा माल जारी करने से परिसज्जित उत्पाद उठाने तक) सामान्यत: 30 दिन के भीतर पूरी की जानी होगी।

7.3 परिसज्जित परिवर्तित उत्पाद सामान्यत: स्टॉकयार्ड में दो महीने से अधिक अवधि तक नहीं रखे जाने चाहिए। यदि सामग्री दो महीने से अधिक अवधि तक रखी जाती है तो क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक/शाखा प्रबंधक को आगे ऐसे उत्पादों के परिवर्तन हेतु परिवर्तन अभिकर्ता को कच्चे माल जारी करने और अर्द्ध-परिसज्जित उत्पादों सहित जिनका स्टॉक पहले से रखा गया हो, उनके निपटान की आवश्यक कार्रवाई करनी होगी

7.4 संबद्ध शाखा के शाखा प्रबंधक अथवा विपणन कार्यपालक को परिवर्तन अभिकर्ता की ओर से सामग्री की प्राप्ति, परिवर्तन, बिक्री/प्रेषण, स्टॉक, बैंक गारंटी की प्रक्रिया आदि कार्य का नियमित तौर पर पर्यवेक्षण करना होगा।

7.5 परिवर्तन अभिकर्ताओं की नियुक्ति, परिवर्तित किये जानेवाले उत्पाद, परिसज्जित उत्पाद, जलन हानि भत्ता, परिवर्तन प्रभार आदि के विवरण सहित एक प्रतिवेदन मुख्यालय के परियोजना बिक्री अनुभाग/योजना व प्रेषण अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा।

7.6 संबद्ध शाखा बिक्री कार्यालयों को परिवर्तन (अभिकर्ता वार) एवं परिवर्तित उत्पादों की बिक्री का मासिक प्रतिवेदन तैयार करना होगा और संबद्ध क्षेत्रीय प्रबंधकों को समेकित प्रतिवेदन मुख्यालय के परियोजना बिक्री अनुभाग/योजना व प्रेषण अनुभाग के अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत करना होगा।

8.0 <u>परिवर्तन अभिकर्ताओं का निष्कासन:</u>

8.1 । यदि कोई परिवर्तन अभिकर्ता संविदा की शर्त व निबंधनों के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता हो अथवा उसका निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता हो तो विभागाध्यक्ष (विपणन) के अनुमोदन से एक महीने की सूचना देते हुए संविदा समाप्त की जाएगी।

8.2 संविदा की समाप्ति के पूर्व अथवा समाप्ति के तुरंत बाद, परिवर्तन अभिकर्ता के परिसर से स्टॉक हटाना होगा (ग्राहकों तक अथवा स्टॉकयार्ड में पहुँचाया जाएगा) और बिल का निपटान करना होगा।

9.0 <u>अवधि, संशोधन व अंतर:</u>

9.1 नीति की वैधता: उपर्युक्त नीति अनुमोदन की तिथि से आगे के संशोधन तक वैध होगी।

9.2 संशोधन: परिवर्तन नीति का कोई संशोधन निदेशक (वाणिज्य) एवं निदेशक (वित्त) की स्वीकृति तथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

9.3 बदलाव: उपर्युक्त दिशानिर्देशों में कोई बदलाव हेतु निदेशक (वाणिज्य) का अनुमोदन आवश्यक होगा।

-x-